



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-379/2022

दिनांक- 13-नवम्बर-2022

## प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर

### चोरी की बाइक व अवैध असलहा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, आधा दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज ।

दिनांक 13.11.2022 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया जो पुलिस कर्मियों को देखकर भागने का प्रयास किया पुलिस द्वारा घेरमारकर अभियुक्त वसीम पुत्र मुस्तफा ग्राम इस्लामपुर , बसारतपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष को पकड़ लिया गया जिसके जामा तलासी से उसके पहने पैट के फेटे से एक अदद तमन्चा नजायज .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा उसके द्वारा उपयोग किये जा रहे मोटर साइकल को संदेह होने पर गहनता से जांच किया गया तो मोटरसाइकल भी चोरी का होना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त को करीब 12.35 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

#### बरामदगी का विवरण:-

एक अदद तमन्चा नजायज .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व चोरी की मोटरसाइकिल

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 241/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 420/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

#### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 241/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 420/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 48/2021 धारा 120बी/308/324/506 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
3. मु0अ0सं0 228/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
4. मु0अ0सं0 229/2022 धारा 4/20 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
5. मु0अ0सं0 305/2012 धारा 60 आब0 अधि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
6. मु0अ0सं0 306/2012 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
7. मु0अ0सं0 560/2009 धारा 110G गुण्डा अधि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वसीम पुत्र मुस्तफा ग्राम इस्लामपुर , बसारतपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

## थाना देवगाँव

### महिला के गले से चैन स्नेचिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, सोने की चैन व चाकू बरामद

**1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-** दिनांक 12.11.2022 को आवेदिका जब सुबह खेत से वापस आ रही थी। रास्ते में विपक्षी आकाश यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी मरहती थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदिका का चैन खींचकर चुरा लेना जब आवेदिका द्वारा पूछा गया तो आवेदिका को चाकू दिखाकर धक्का मार देना जिससे आवेदिका गिर गयी व चोटे आने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 443/2022 धारा 382 भादवि पंजीकृत किया गया।

**2. गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 13.11.2022 को व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दुबे अपने हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी ग्राम मरहती थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को नाउपुर मोड के पास से समय करीब 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चैन पीली धातु, 01 अदद चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण-** मु0अ0सं0 444/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगाँव आजमगढ़ ।

**बरामदगी का विवरण-** 01 अदद चैन पीली धातु, 01 अदद चाकू

## आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त- आकाश यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी ग्राम मरहती थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
01	443/2022	382/411 भादवि	देवगाँव	आजमगढ़
02	444/2022	4/25 आर्म्स एक्ट	देवगाँव	आजमगढ़

## गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. आकाश यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी ग्राम मरहती थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

## गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़
2. उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दुबे चौकी प्रभारी लालगंज मय हमराह थाना देवगाँव आजमगढ़

## थाना- जीयनपुर

चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी गये सामान व अवैध असलहें के साथ अभियुक्त गिरफ्तार पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 12/11/2022 को वादी मुकदमा सुबाष चन्द्र जायसवाल पुत्र बाबूलाल जायसवाल ग्राम जीयनपुर नवोदय नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना कार्यालय आकर लिखित सूचना दिया कि दिनांक 08.11.22 को समय करीब 10.00 बजे दिन में अज्ञात चोर द्वारा पक्की दीवार को नकव काटकर करीब 70 kg ,लेड ( रंगा) व 60 kg पीतल, करीब 15 kg कापर वायर एवं 12kg एल्मुनियम चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 683/2022 धारा 454,380 भा0द0वि0 जिसकी विवेचना नि.महेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में - गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 13/11/22 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुहम्मद महफूज पुत्र मुहम्मद अजीज निवासी अनवर सिटी कटरा कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता खास बाजार कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को रजादेपुर चौराहे के पास से समय 7.10 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के पास से एक अदद तंमचा .303बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303बोर व करीब 23 किलो ग्राम बैटरी में प्रयुक्त होने वाला धातु का सामान व 1 अदद तार ताला खोलने वाला, 1 अदद पेचकस, 1 अदद लोहे का सरिया आगे नोकदार व 1220/- रुपया नगद बरामद हुआ उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के अधार पर थानास्थानीय पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0 684/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 684/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर ,आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास -1. मु0अ0सं0 683/2022 धारा 454/380/411 भादवि थाना जीयनपुर ,आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 684/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर ,आजमगढ़

बरामदगी - 1. एक अदद तंमचा .303बोर एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

2. करीब 23 किलो ग्राम बैटरी में प्रयुक्त होने वाला धातु का सामान

3. अदद तार ताला खोलने वाला, 1 अदद पेचकस, 1 अदद लोहे का सरिया आगे नोकदार

4. 1220/- रुपया नगद

## गिरफ्तार अभियुक्त-

1-महफूज पुत्र मुहम्मद अजीज निवासी अनवर सिटी कटरा कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता खास बाजार कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

## गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

2. निरीक्षक महेन्द्र कुमार मय हमराह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

3. उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़

थाना- सिधारी

फरार अभियुक्त के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

आज दिनांक 13.11.2022 को मु0अ0सं0- 13/19 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ में वांछित चल रहे अभियुक्त रंजीत पुत्र शंकर निवासी ग्राम मकदुमपुर थाना घोसी जनपद मऊ के विरूद्ध मा0न्यायालय से मुकदमा उपरोक्त में जारी 82 सीआरपीसी के प्रासेस का तामीला उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह पीआरडी सुभाष चन्द्र द्वारा नियमानुसार अभियुक्त रंजीत पुत्र शंकर उपरोक्त के घर पर गवाह अमित कुमार पुत्र विनय कुमार ग्राम मकदुमपुर थाना घोसी जनपद मऊ मो0न0 9118799305 व शिवबदन पुत्र स्व0 हरदेव ग्राम मकदुमपुर थाना घोसी मऊ मो.न. 8874968565 की उपस्थिति में अभियुक्त के घर के मुख्य द्वार के सदृश्य स्थान पर चस्पा करके क्रिया गया तथा मोहल्ले में मुनादी आदि की कार्यवाही करायी गयी एवं 82 सीआरपीसी के प्रासेस की प्रति को गांव में बने पंचायत भवन के मुख्य द्वार पर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियमानुसार चस्पा किया गया।

थाना- महाराजगंज

अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, आधा दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज ।

दिनांक 12.11.22 उ0नि0 आशुतोष मिश्रा मयराह उ0नि0 सुधीर पाण्डेय द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन से र शिवपुर ढाला से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ रामसिंह यादव पुत्र लाल साहब यादव सा0 अराजी जजमन जोत थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष से समय करीब 19.35 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय क्रिया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 269/2022 धारा 3/25 A. ACT थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	191/19	372, 273 IPC व 60 आब0अधि	महाराजगंज	आजमगढ़
2	281/20	269, 272, 273 IPC व 60 आब0अधि	महाराजगंज	आजमगढ़
3	299/20	272, 273 IPC व 60 आब0अधि	महाराजगंज	आजमगढ़
4	23/21	272, 273 IPC व 60 आब0अधि	महाराजगंज	आजमगढ़
5	55/21	272, 273 IPC व 60 आब0अधि	महाराजगंज	आजमगढ़
6	154/21	147, 352, 504, 506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
7	155/21	272, 273 IPC व 60 आब0अधि	महाराजगंज	आजमगढ़
8	429/22	3/25 आर्म्स एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामसिंह यादव पुत्र लाल साहब यादव सा0 अराजी जजमन जोत थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब ।

बरामदगी- एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SO श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 आशुतोष मिश्रा मय साथी उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह का0 सुभाषचन्द्र यादव, का0 मिथिलेश पासवान, हे0का0 राजेश कुमार ,का0 आशुतोष वर्मा थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।